## -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 20.12.2024**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2019 में थाना बिसण्डा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

**विवरण**– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2019 में थाना बिसण्डा क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा क्षेत्रान्तर्गत एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने दिनांक 24.05.2019 को थाना बिसण्डा पर सूचना दी कि दिनांक 22.05.2019 को अभियुक्त मनोज यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी बिलगांव द्वारा उनकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया। सूचना पर तत्काल थाना बिसण्डा पर मु0अ0सं0 100/19 धारा 376/504/506 भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री मधुसुदन शुक्ल द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन कर दिनांक 06.07.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री कमल सिंह गौतम द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी दीपक व महिला आरक्षी पुनीति भदौरिया तथा पैरोकार आरक्षी राजन के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

**अभियुक्त-**

1. मनोज यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी बिलगांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

**अभियोजक**
**श्री कमल सिंह गौतम**

**विवेचक**
**निरी0 श्री मधुसुदन शुक्ल**

**कोर्ट मोहर्रिर**
**आ0 दीपक**

**कोर्ट मोहर्रिर**
**म0आ0 पुनीति भदौरिया**

**पैरोकार**
**आ0 राजन**